न्यायालय तहसीलदार सीकर

पत्रावली रामचन्द्र कौराट बनाम मूलाराम कौराट

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 251 रा० टी० एक्ट 1955

मु.सं. 2/2017 निर्णय दिनांक 18-10-2017

—— xxx —— xxx —— xxx —— xxx ——

पत्रावली पेश हुई, अवलोकन किया गया। ग्राम बराल में पीपलवा की ढाणी तह० सीकर के प्रार्थीगण कानाराम, भोदूराम, रामचन्द्र, सुवालाल द्वारा दिनांक 25-5-17 को राजस्व कैम्प में प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की, प्रार्थियों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 885, 884 एवं कृषि भूमि में आवासीय मकानो में आने व जाने का रास्ता में उत्पन्न किये जाने वाले अवरोध को हटवावें। जिस पर पटवारी हल्का जांच कर रिपोर्ट देवे, लिखा गया। दि० 23-6-2017 को जिस पर भोदूराम द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी सीकर महो० को किया, जिस पर राजस्व शाखा द्वारा पत्र क्रमांक 349 दि० 4-7-2017 को लिखा जाकर प्रार्थना पत्र की जांच कर रिपोर्ट चाही गई। उपखण्ड अधिकारी महो० सीकर का पत्र क्रमांक 491 दि० 10-7-17 प्राप्त होने पर तहसीलदार सीकर का पत्रांक 586 दि० 12-7-2017 भू अभिलेख निरीक्षक पलासरा एवं पटवारी हल्का जुराठड़ा को लिखा गया। श्रीमान जिला कलक्टर, सीकर का पत्र क्रमांक- जन सुनवाई। सतर्कता। 2017। 165 दि० 18-8-2017 प्राप्त दि० 29-8-17 को होने पर शामिल फाईल किया गया।

भू अभिलेख निरीक्षक पलासरा से रिपोर्ट दि० 18-8-17 को प्रस्तुत हुई जिसके अनुसार उनके द्वारा दि० 14-8-17 को प०ह० जुराठड़ा के साथ मौका निरीक्षण किया गया, फर्द मौका तैयार की गई। ग्राम बराल के ख० नं० 994/1150 तथा ख.नं. 886 में उत्तरी सीमा के सहारे - सहारे डोटेड लाईन रास्ता राजस्व नक्शा में दर्ज है। मौके पर ख.नं. 994/1150 में दर्ज डोटेड लाईन रास्ता में मूलाराम पुत्र भोदूराम जाति जाट द्वारा तारबन्दी कर रास्ता को संकरा कर दिया गया है। एवं पगडण्डीनुमा बना दिया, इसी प्रकार ख.नं. 886 मे दर्ज डोटेड लाईन रास्ता के आंशिक भाग में महादु पुत्र रूपा जाति जाट द्वारा तारबन्दी कर रास्ते को संकरा कर दिया गया है, जिससे रास्ते में से होकर ट्रैक्टर, ऊंट गाड़ी वगैरह नहीं आ- जा सकते है। फर्द मौका के साथ नकल जमाबन्दी एवं नक्शा नकल भी शामिल है। उक्त सभी आवेदन, जांच रिपोर्ट 9CA सहित तहसील कार्यालय सीकर के पत्र क्रमांक। रीडर। 2017। 489-491 दि० 1-9-17 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जुराठड़ा को रास्तो के विवाद निस्तारण बाबत राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 4118-49 दिनांक 11-6-1999 जो समस्त जिला कलेक्टर को भिजवाई की प्रति सहित पृष्ठ सं. 261 ता 262, 265 ता 266, 267, 270 ता 272 भिजवाई गई, पृष्ठ संख्या 272 पर अंकित चिन्हित लाईनो के अनुसार ग्रामपंचायत

को प्रकरण सर्वप्रथम भेजा जाना आवश्यक है, तदनुसार प्रकरण को ग्राम पंचायत जुराड़ा को प्रथम 45 दिवस तक ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार मानकर उन्हे भिजवाया गया। ग्राम पँचायत जुराड़ा के प्रस्ताव सं. 3 दिनाँक 6-9-17 की प्रमाणित प्रतिलिपि दि० 15-9-17 को प्राप्त हुई, परन्तु तहसील कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र एवँ भू अभिलेख निरीक्षक पलाहण की मौका जाँच रिपोर्ट आदि संलग्न नहीं होने से उनका इन्तजार किया गया। दिनाँक 5-10-17 को उक्त प्रा० पत्र आदि तहसील कार्यालय में प्रस्तुत हो जाने पर नोटिस जारी किये गये। मूलाराम पुत्र गेंदूराम जाति जाट नि० पीपला की ढाणी तन बराल व महादु पुत्र रूपा जाट निवासी पीपला की ढाणी तन बराल को नोटिस क्रमांक क्रमश: 789, 790 दि० 5-10-2017 जारी किये गये। नोटिस की तामील हो चुकी है। निर्धारित तारीख पेशी दि० 16-10-2017 को जवाब नोटिस दोनो की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत हुआ है, जिसमें बताया गया है कि "भूमियाँ जहाँ रास्ता होना बता रहे है और जहाँ जाने के लिए रास्ता चाहिये यह समस्त कृषि भूमि सहकाश्तकारी की अविभाजित कृषि भूमियाँ है एवँ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमियाँ है, इसलिए इन कृषि भूमियो के बाबत धारा 251 आर.टी. एक्ट लागु ही नहीं होता है। यह भी वर्णित किया गया है कि बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है, इसलिए भी अन्यत्र न्यायालय में अन्य तरह की रास्ते संबंधी या अन्य कोई कार्यवाही होना कानूनन निषेध है। एक ही विषय वस्तु के बाबत पृथक्-2 दो न्यायालयों में कार्यवाही साथ-साथ नहीं चलाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थीगण के खेतों एवँ घरो के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, यह रास्ता प्रार्थीगण के घरों (मकानों) से निकलकर पश्चिम में खसरा नम्बर 881, 882, 883, 869 जो कि मूर्ति मन्दिर सीताराम जी रानोली की खातेदारी की है, जिनकी काश्त प्रार्थीगण करते है, में प्रवेश कर ग्रेवल सड़क पर आ जाते है, यह रास्ता ग्रेवल ग्राम पीपला की ढाणी, ग्राम बराल, ग्राम बिरडु ग्राम आभावपुरा को जाता है। अतः वैकल्पिक रास्ता होने की सूरत में भी प्रार्थीगण कोई दूसरा रास्ता क्लेम नहीं कर सकते।"

मुताबिक जमाबन्दी ग्राम बराल खo नं. 885 एवँ 886 प्रार्थीगण एवँ अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी, शामलाती खातेदारी भूमि है, स्थगन होने का कोई नोट अंकित नहीं है, न्यायालय में बंटवारा दावा होना भी बिना दस्तावेज के स्वीकार नहीं किया जा सकता। खo नं० 994/1150 की खातेदारी मन्दिर श्री —

सीताराम जी महाराज बीराजमान रानोली के नाम से है।

पत्रावली में शामिल मु. अभिलेख निरीक्षक की फर्द मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि ख० नं० 884 व 885 में परिवादी रामचन्द्र के भाई मोदूराम कानाराम व सुवालाल के परिवार आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। ख.नं. 994/1150 जो मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज की खातेदारी का है, में रास्ता डोटेड उत्तरी सीमा में है को बिन्दु A से B तक तारबंदी मूलाराम पुत्र मोदूराम जाति जाट द्वारा की गई है, इस डोटेड रास्ते को मूलाराम द्वारा काश्त करके संकरा किया गया है, जो उसकी खातेदारी का भी हिस्सा नहीं है। अतः इसमें मूलाराम को बन्द करने का, काश्त करने का, छड़ियाँ डालकर डोटेड लाईन प्रदर्शित रास्ते को बन्द करने का कोई अधिकार नहीं है। फर्द मौका प्रदर्शित नक्शे में बिन्दु C से D के मध्य की तारबंदी महादु पुत्र रूपा जाति जाट द्वारा ख.नं. 886 में स्थित मोहु की गई है, जो कि प्रचलित रास्ता डोटेड लाईन को बाधित किया गया है। राजस्व नक्शे में प्रचलित रास्तो को ही डोटेड लाईन से प्रदर्शित किया गया है। इन प्रचलित रास्तो को अवरुद्ध करने से काश्तकारो के सुखाचार प्रभावित होते हैं। अतः प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 अन्तर्गत आता है।

आदेश

—०—

उपरोक्तानुसार विवेचन के पश्चात यह आदेश दिया जाता है कि ख० नं० 994/1150 एवं ख० नं० 886 में प्रचलित डोटेड लाईन अवरुद्ध रास्ते को तुरंत खोला जावे। काश्तकार को उसके सुखाचार से प्रचलित रास्तो से आवागमन के अधिकार से वंचित नहीं किया जावे। अवरुद्ध रास्ते को मौका पर खोलने के उपरांत किसी के द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध नही किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/10/17
(जगदेव कुमार शर्मा)
तहसीलदार सीकर
तहसीलदार, सीकर